

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-  
विकल्प पत्र

1. नाम.....संजय कुमार यादव-(प्रथम)
2. वर्तमान पदनाम.....अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
3. वेतनमान.....144840- 194660/Rs.
4. वर्तमान विभाग का नाम.....न्याय विभाग (उत्तर प्रदेश)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम.....लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
6. विज्ञप्ति की तिथि.....विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003  
(रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर 2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि.....15.06.2006
8. योगदान की तिथि.....15.06.2006
9. जन्म तिथि.....05.03.1977  
(पांच मार्च सन उन्नीस सौ सतहत्तर)
10. सेवानिवृत्ति की तिथि.....31.03.2037

मैं संजय कुमार यादव पुत्र श्री राज बहादुर यादव, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये।

*Sanjay Kumar Yadav*  
संजय कुमार यादव-(प्रथम)  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
विशेष न्यायाधीश-गैंगेस्टर एक्ट,  
कक्ष संख्या-4, अलीगढ़  
H.C.Id. No. UP06339  
Personal file No. IV-3317/Admin. A

घोषणा पत्र

मैं संजय कुमार यादव-(प्रथम) पदनाम-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य, मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

*Sanjay Kumar Yadav*  
संजय कुमार यादव-(प्रथम)  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
विशेष न्यायाधीश-गैंगेस्टर एक्ट,  
कक्ष संख्या-4, अलीगढ़

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री संजय कुमार यादव-(प्रथम) पदनाम-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

दिनांक-24.07.2024